डोटासरा का किरोड़ी पर तंज,जनता अब भिक्षा नहीं आराम देगी

अलवर/बहरोड, 8 नवम्बर (वेबवार्ता)। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के वोट की भिक्षा मांगने वाले बयान पर पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा– जो सरकार में हैं, कुछ देने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को उतारू हैं। मैं आपको मान गया, आपको सैल्यूट करता हूं। प्रणाम करता हूं। जो मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में सातों सीटों पर जाना चाहिए। वह गली–गली में घूम रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। डोटासरा ने कहा– भवानी रूठ गई और भवानी जाग गई, क्या बात है क्या चल रहा है। कल आपने देखा नहीं क्या पिक्चर, भिक्षा देही। अब भिक्षा देही नहीं आराम देहि होगा। भाई साहब , जनता यह भिक्षा नहीं देगी, अब आराम देगी। दरअसल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को अलवर के रामगढ़ और दौसा में उपचुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीबीसी लंदन भी कहेगा– दुग्गी ने इक्के को हरा दिया डोटासरा ने दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के चुनावी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा– बीबीसी लंदन भी दौसा रिजल्ट पर कहेगा– दुग्गी ने इक्के को हरा दिया। इसलिए भिक्षाम देहि को आराम देहि कर दो। उन्होंने कहा– यह उपचुनाव साधारण नहीं है। एक तरफ डरा–धमका कर टिकट लिया गया है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता (को टिकट दिया है। एक तरफ साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है तो दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने 13 सीट जिताकर सरकार बना दी। उपचुनाव में भाजपा को जीत मिलेगी तो मेरा प्रमोशन होगा। हिंदुस्तान की नजरें दौसा सीट पर उन्होंने कहा– कांग्रेस पार्टी सभी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मतदान होने तक किसी को भी भूख–प्यास की चिंता किए बिना पार्टी के लिए जी जान से काम करना होगा। पूरे हिंदुस्तान की नजरें दौसा विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई है। बैरवा के जीतने से कई समीकरण तय होंगे, इसलिए यह प्रतिष्ठा की सीट है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मान–सम्मान की लड़ाई है। बीजेपी सरकार सड़क, पानी–बिजली का इंतजाम करने में फेल डोटासरा ने अलवर के बड़ौदामेव में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा– भजनलाल सरकार में दिल्ली से पर्ची आती है। उनकी यही नीति है कि हर स्टेट में एक पपलू बैठाओ और लूटो–खोसो मजे करो। बीजेपी सरकार सड़क, पानी और बिजली का इंतजाम करने में फेल है। कानून नाम की चीज नहीं है। तरह–तरह के माफिया हावी है। मुख्यमंत्री तो केवल कांग्रेस को गाली निकाल रहे हैं। अब तो 12 महीने हो गए। तुम्हारा नंबर आ गया जेल जाने का। डोटासरा बोले– टीकाराम जूली को कम मत समझना डोटासरा बोले– नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को कम मत समझना। पहले कइयों ने कम आंक लिया था। विधानसभा में बीजेपी को नानी याद आ गई। बीजेपी के नेताओं को खड़े नहीं होने दे रहे। उपचुनाव में बीजेपी को एक दो सीट चली गई तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हितों पर असर पड़ेगा। डोटासरा ने कहा– हरियाणा में कुछ भी हो गया हो। उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब इनका अहंकार चरम पर आ गया है। हर बीजपी के नेता का भाषण देखो हरियाणा की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार काम क्या कर रही है। अब पंचायत और निगम के चुनाव नहीं करा पा रहे। पुरानी प्रदेश सरकार की योजनाएं गायब हो गई। केवल और केवल नोटंकी का काम करते हैं। कृषि मंत्री ने 10 महीने में किसान को मजबूती देने के बारे में कोई बात नहीं की। अब इनके जेल जाने का नंबर आ गया कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा– बीजेपी के राज में मुख्यमंत्री कहता है मेरी नहीं चल रही। मंत्री–विधायक भी यही कहते हैं। इनके मंत्रियों की लिस्ट पहले सीएमओ में जाती है। 90 पर्सेंट इनके नाम बदल जाते हैं। इनको कोई पूछता नहीं है। काउंटर पर पर्ची कटती है। इनको शर्म नहीं आती है। हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अब कोई बीजेपी का मंत्री और नेता यह नहीं कह पाता कि यह काम करा देंगे। ये पेंशन नहीं दे पा रहे। ये ईडी, सीबीआई सब रुक जाएगी। अब आगे तो इनका जेल जाने का नंबर आ जाएगा। करोड़ों के निवेश का दावा जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला डोटासरा ने कहा– भाजपा सरकार के राइजिंग राजस्थान में करोड़ों के निवेश का दावा जनता की आंखों में धूल झोंक कर प्रदेश के साथ धोखा करने वाला है। एजुकेशन प्री समिट में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में 425 एमओयू में 23,871 करोड़ के निवेश की सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हकीकत ये है कि भाजपा सरकार प्रशासनिक दुरुपयोग और दबाव बनाकर निजी शिक्षण संस्थानों को महत्वहीन एमओयू के लिए बाध्य कर रही है। सरकार ने निवेश के नाम पर सिर्फ निजी शिक्षण संस्थानों की पहले से मौजूद परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करके एमओयू तैयार किए हैं, इन एमओयू में कोई नया निवेश नहीं है।

घर से 12 लाख के जेवर, नगदी और मोबाइल चोरी

अलवर/बहरोड, 8 नवम्बर (वेबवार्ता)। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार रात सामोला में तीन चचेरे भाइयों के मकान से अज्ञात चोर 3 सोने की हसली, 3 मोबाइल फोन व 1 लाख 70 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। कुल करीब 12 लाख रुपए के जेवर और नकदी ले गए। सामोला ईटाराणा रोड निवासी कमल खां ने बताया– हम तीन भाई एक जगह रहते हैं। गुरुवार रात बरामदे में मां के आसपास परिवार के अन्य सदस्य भी सोए हुए थे। घर का मेन गेट नहीं है। कमरे में बाहर से कुंडी लगी थी। अलमारी में पहले से चाबी लगी छोड़ दी। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे परिवार के लोग जागे तो देखा किसी का मोबाइल नहीं है। उसके बाद कमरे में देखा तो अलमारी से दो तोला सोने की हसली भी गायब मिली। अलमारी से 15 हजार रुपए की नकदी नहीं मिली। दूसरे कमरे से गुलीबन्द सोने का गायब मिला। एक लाख रुपए की नकदी नहीं मिली। दूसरे कमरे से भी 2 तोला सोने की हसली चोरी हो गई। इस तरह 3 सोने की हसली, 3 मोबाइल व 1 लाख 70 हजार रुपए की नकदी चोरी हुई है। पीड़ित कमल ने बताया कि सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना दी। इसके बाद रिपोर्ट दी है।

रामभद्राचार्य बोले- पाकिस्तान का हड़पा हुआ कश्मीर हमें मिले

जयपुर, 8 नवम्बर (वेबवार्ता)। जगदगुरु रामभद्राचार्य ने कहा– पाकिस्तान की ओर से हड़पा हुआ कश्मीर हमें मिले, इसके लिए सवा करोड़ आहुति हनुमानजी को डालेंगे। जयपुर से बहुत यजमान चाहिए, पाकिस्तान से विजय चाहिए तो जयपुर का सहयोग चाहिए। चलिए हम सभी आनंद करेंगे। रामभद्राचार्य विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को बोल रहा थे। कथा में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने भी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। रामभद्राचार्य ने कहा– राजस्थान सरकार 6 से 12वीं कक्षा तक वेद की शिक्षा देना चाहती है। इसकी मुझे जानकारी मिली है। मैं सरकार से कहूंगा। सरकार को लगे ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक मुझे सहयोग करना है। भारतीय संस्कृति के लिए जहां भी आवश्यकता हो सरकार मेरा उपयोग करे। मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मुझे डेढ़ लाख वेद मंत्र याद हैं। राजस्थान में कमल का फूल खिला है। कमल के फूल से हरि की पूजा होती है। सत्ता पक्ष के कमल के फूल से हरि की पूजा कीजिए। राज्यपाल बोले– हमारी संस्कृति आज भी जीवंत राज्यपाल ने कहा– जयपुर में 22 साल बाद रामभद्राचार्य राम कथा कर रहे हैं। 800 साल पहले हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ तो भी आज जीवंत है। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कथा में पास व्यवस्था समाप्त की गई विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही श्री राम कथा में शनिवार से कोई एंट्री पास से नहीं होगी। कथा से पास व्यवस्था को समाप्त किया गया है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो जल्दी आएगा वही आगे की सीट पर बैठेगा। जानिए, कौन हैं रामभद्राचार्य रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वे प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के मौजूदा चार जगद्गुरुओं में से एक हैं और इस पद पर 1988 से आसीन हैं। महाराज चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति भी हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इन्होंने दो संस्कृत और दो हिंदी में मिलाकर कुल चार महाकाव्यों की रचना की है। इन्हें भारत में तुलसीदास पर सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में गिना जाता है। साल 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया था। इनके वक्तव्य से बदला राम जन्मभूमि का फैसला गौरतलब है कि पद्मविभूषण रामभद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद–पुराण के उद्धरण देकर गवाही दी थी। जब श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में वे वादी के रूप में शीर्ष कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने ऋगवेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का सटीक ब्योरा देते हुए श्रीराम जन्मभूमि की दूरी बताई गई है। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगद्गुरु की ओर से बताए गई पृष्ठ संख्या को खोल कर देखा गया तो समस्त विवरण सही पाए गए। इस प्रकार जगद्गुरु के वक्तव्य ने फैसले का रुख मोड़ दिया। जज ने भी कहा कि आज मैंने सनातनी प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से आंखों से रहित है वो भारतीय वांग्मय और वेद–पुराणों के उद्धरण दे रहा है जो बिना ईश्वरीय कृपा के संभव नहीं है। 2 महीने की उम्र में चली गई आंखों की रोशनी सिर्फ दो माह की उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आज इन्हें 22 भाषाएं आती हैं और ये 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। न तो ये पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। केवल सुन कर सीखते हैं और बोल कर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं।

सवारी टैंपो और कार की टक्कर, 11 घायल

अलवर/बहरोड, 8 नवम्बर (वेबवार्ता)। अलवर के नौगांवा में अलवर रोड पर न्यू सैनी ढाबे के सामने गुरुवार शाम को सवारी टैंपो और कार की टक्कर हो गई। टैंपो में सवार करीब 11 सवारी घायल हो गई, जिनमें से दो गंभीर घायलों को जिला हॉस्पिटल लेकर आया गया। जानकारी अनुसार टैंपो फिरोजपुर से अलवर की तरफ सवारी लेकर आ रहा था। ड्राइवर ने ट्रक को ओवरटेक किया तो सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कुल 11 लोग घायल हुए हैं। घायल महिला ने बताय– वह हॉस्पिटल में पट्टी कराने गई थी। उसके हाथ में पहले से फैक्चर था। अब एक्सीडेंट में और चोट आ गई। घायलों में आजाद पुत्र ताराचंद, निवासी फिरोजपुर, राजकुमार पुत्र मोरमल सैनी निवासी बीजवा, सकीला निवासी फिरोजपुर, जैद पुत्र सूबेदार निवासी नइ पुन्हाना गंभीर घायल हुए हैं। इनके अलावा सुनीता पत्नी ताराचंद, नेमी पुत्र भरत निवासी फिरोजपुर, जैद पुत्र सूबेदार निवासी नई पुन्हाना, जयदेव पुत्र रघुवीर निवासी नई पुन्हाना सहित कई लोग घायल हुए हैं।

निवर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ की विरासत पर बहस जारी रहेगी: जयराम रमेश

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की विरासत पर बहस जारी रहेगी और कम से कम दो बहुत महत्वपूर्ण मामलों में मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में वह सीजेआई से ''अत्यधिक निराश'' हुए हैं, जिनमें से एक कानून को मनमाने ढंग से धन विधेयक घोषित करना भी शामिल है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को देश का 51वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह 11 नवंबर को शपथ लेंगे। इससे एक दिन पहले मौजूदा सीजेआई चंद्रचूड़ 65 वर्ष की आयु होने पर पद छोड़ देंगे। शुक्रवार सीजेआई के रूप में चंद्रचूड़ का आखिरी कार्य दिवस है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर, 2022 को सीजेआई के रूप में पदभार संभाला था। कांग्रेस महासचिव रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''भारत के सेवानिवृत्त होने जा रहे प्रधान न्यायाधीश के लिए आज आखिरी कार्य दिवस है। उनकी विरासत पर बहस जारी रहेगी, जैसा कि वास्तव में होना चाहिए।'' रमेश ने कहा, ''व्यक्तिगत रूप से, कम से कम दो अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में, मुझे गहरी निराशा हुई है। सबसे पहले, बहादुर न्यायाधीश ने सितंबर 2018 के अपने असहमतिपूर्ण फैसले में आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने को 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' कहा था, उन्होंने मोदी द्वारा मनमाने ढंग से संविधान की धारा 110 के तहत धन विधेयक के रूप में घोषित किए गए कानून के मामले में शामिल मुद्दों की पड़ताल के लिए सिर्फ पूर्ण बहस से बचने के लिए कभी भी पूर्ण पीठ का गठन नहीं किया।''

उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ ने प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने के बाद ऐसा करने का वादा किया था। रमेश ने कहा, ''दूसरा, आरटीआई में मोदी सरकार के हानिकारक संशोधनों के खिलाफ मेरी चुनौती चार साल से अधिक समय से सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रही है।''

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में बैठी सेरेमोनियल बेंच

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम कार्य दिवस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में परंपरा के मुताबिक सेरेमोनियल बेंच बैठी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली इस सेरेमोनियल बेंच में मौजूदा और अगले मुख्य न्यायाधीश साथ में बैठकर कुछ मामलों की सुनवाई करते हैं।

इस सेरेमोनियल बेंच के समक्ष अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि उन्हें बहुत कुछ कहना है, लेकिन अचानक पता चलता है कि एक शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ब्राजील में एक सम्मेलन के खत्म होने के बाद हर कोई डांस करने लगा। अगर मैं चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के मौके पर सभी डांस करने के लिए कहूं तो ज्यादातर लोग मेरा समर्थन करेंगे।

सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में चंडीगढ़ दमकल विभाग के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सुरक्षा उपकरणों का कारोबार करने वाली एक कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में चंडीगढ़ दमकल विभाग के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है । पकड़े गये अधिकारियों में से एक दमकल केंद्र अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने बृहस्पतिवार को मनीमाजरा केंद्र के 'लीड फायरमैन' कमलेश्वर नेहरा को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह एसएफओ (दमकल केंद्र अधिकारी) दशेरू सिंह की ओर से एक इंजीनियर से कथित तौर पर 80 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था, और बाद में सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को अलगाववादी नेता मलिक को उपचार मुहैया कराने को कहा

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को आतंकवाद के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे और कथित तौर पर भूख हड़ताल पर बैठे अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आवश्यक उपचार मुहैया कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया।मलिक के स्वास्थ्य देखभाल का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने केंद्र, दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया तथा उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक वस्तु स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। मलिक के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल एक नवंबर से भूख हड़ताल पर है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।

अदालत ने कहा, ''नोटिस जारी किया जाए। जेल अधीक्षक से याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाए। साथ ही, याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए, जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि जेल नियमावली के अनुरूप याचिकाकर्ता को आवश्यक उपचार मुहैया कराया जाए।'' मलिक को दिल्ली की एक अधीनस्थ अदालत ने 24 मई 2022 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर उसकी आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड में तब्दील करने का अनुरोध किया है। वहीं, उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, मलिक ने दावा किया कि वह ''हृदय और गुर्दे के गंभीर रोगों'' से पीड़ित है और वर्तमान में जिंदगी के लिए जूझ रहा है।

मलिक की याचिका में दावा किया गया है, ''ऐसे कई बार हुआ जब याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार था या अधीनस्थ अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की (धारा) 268 के आदेशों की आड़ में (मलिक को तिहाड़ जेल और दिल्ली में ही रखने) के लिए उसे न तो अस्पताल ले जाया गया और न ही अदालतों में पेश किया गया।''

सैन्य संग्रहालयों को जल्द ही 'ई-प्लेटफॉर्म' से जोड़ दिया जाएगाः चौहान

नई दिल्ली, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न सैन्य संग्रहालयों को एक परियोजना के तहत 'ई-प्लेटफॉर्म' से जोड़ने का कार्य जारी है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत की गौरवशाली सैन्य विरासत के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में अपने मुख्य भाषण में, सीडीएस ने सैन्य गाथा साहित्य लेखन पर भी जोर दिया ताकि अतीत की सैन्य घटनाओं का उल्लेख कर उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। जनरल चौहान ने कहा, ''हमने, सशस्त्र बलों में, अपने गौरवशाली इतिहास और विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने के इरादे से सैन्य संग्रहालयों को ई–लिंक करने की एक परियोजना शुरू की है। हमने पहले ही इनमें से लगभग आठ–दस सैन्य संग्रहालयों को ई–लिंक कर दिया है, और जल्द ही हम सभी 47–48 सैन्य संग्रहालयों को ई–लिंक करने जा रहे हैं। इस तरह, वे एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं होगी।'' सीडीएस ने कहा, ''हम सभी युद्ध संग्रहालयों को'' एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ई–लिंक करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ताकि यह उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सके, जो इन्हें ऑनलाइन माध्यम से देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह, लोगों को सैन्य वीरता से अवगत कराने के लिए, 'युद्धक्षेत्र पर्यटन' के वास्ते एक ''हाइब्रिड मॉडल'' अपनाया गया है। सीडीएस ने कहा, ''इसमें विभिन्न युद्धक्षेत्रों के ऑनलाइन लिंक शामिल हैं, जहां सशस्त्र बलों ने लड़ाई लड़ी है, और उन युद्धक्षेत्रों के दौरे भी कराये जाएंगे, जो युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के अभियानों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं।'' इस कार्यक्रम में 'शौर्य गाथा' परियोजना की भी शुरूआत की गई जो सैन्य मामलों के विभाग और 'थिंक टैंक' यूएसआई की पहल है। परियोजना का उद्देश्य शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। इस महोत्सव का उद्देश्य वैश्विक और भारतीय थिंक–टैंक, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर–लाभकारी संगठनों, शिक्षाविदों और शोध व अनुसंधान विद्वानों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शामिल करना है। सीडीएस ने युद्ध में कला के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने न केवल युद्ध कला का अभ्यास किया, बल्कि युद्ध से संबंधित कला कार्यों को संरक्षण भी दिया। उन्होंने कहा, ''सर स्टेनली स्पेंसर ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में आधिकारिक युद्ध कलाकार के रूप में सेवा दी। उनकी कलाकृतियों में सैनिकों के दैनिक जीवन और युद्ध की भावनात्मक पीड़ा को दर्शाया गया है।'' भारत में ब्रिटिश शासन ने पेंटिंग का एक विद्यालय भी खोला था जिसने दैनिक और सैन्य जीवन का चित्रण किया था। सीडीएस ने कर्नल अरुल राज के योगदान को भी याद किया, जिनकी पेंटिंग साउथ ब्लॉक से लेकर मानेकशॉ सेंटर तक सैन्य प्रतिष्ठानों की दीवारों की शोभा बढ़ा रही हैं।

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, एससीओ-319, सेक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा-122001

जबकि

प्रतिभूतिकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे हस्ताक्षरकर्ता आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रवर्तन) नियम 2002 ने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया।
चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम नीचे उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्ज़ा की तिथि	सूचना मांग की तारीख /मांग सूचना राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	वसीम खान (उधारकर्ता), सबनम सबनम (सह-उधारकर्ता), LHSOY00001566410	खसरा नंबर 291-291-353-354-355-382-383-384-396-397-284-285-286-290-770-771-772-773-783-836-768-769, ग्राम गंधौला, तहसील टपुकारा, जिला. अलवर, राजस्थान-301002 में स्थित है, क्षेत्र माप 607.85 वर्ग मीटर। सीमाऐं से घिरा हुआ- उत्तर: सड़क, दक्षिण: साकिर का प्लॉट, पूर्व: फजरू का प्लॉट, पश्चिम: कल्लू का प्लॉट./ कब्जे की तारीख- 06-नवंबर-24	23-07-2024 रु. 12,88,570/-	गुडगाँव- सोहना सड़क-बी

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेच दिया जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधान।

दिनांकः 09 नवंबर, 2024, स्थानः अलवर प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए - अचल संपत्ति/ओं की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना

रजि. कार्यालय:- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फ़ोन:- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेब:- www.pnbhousing.com

बी.ओ. : भिवाड़ी: ए10 प्रथम तल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाई पास भिवाड़ी 301019 राजस्थान

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित के पास गिरवी/चार्ज की गई है। लेनदार, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्ज़ा मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर-सी में वर्णित है), नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार ''जैसा है जहां है, जैसा है जो है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा(बेचा जाएगा।
इसके द्वारा संबंधित के उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) को नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ताओं/बंधककर्ता (ओं) (मृतकों) को आज की तारीख में संशोधित सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम -8 (6) और 9 के तहत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर /कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी)(एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय(आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ए न ो उ न एनकम ब्रेंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
HOU/BHI/0220/ 775368 सतबीर सिंह श्रीमती बबीता एवं श्री मनीष कुमार बी.ओ.: भिवाड़ी	रु. 13,29,443.20/- (तेरह लाख उनतीस हजार चार सौ तैंतालीस और बीस पैसे मात्र) 13-06-24	भौतिक कब्ज़ा	ब्लॉक एफ, फ्लैट नंबर 408, वंशिका होम्स, खसरा नंबर 18 19 35 50 55 59 1417/63 66 गांव, तहसील तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान-301019, भारत। क्षेत्रफल 528 वर्ग फुट।	रु. 1,159,000	रु. 115,900	09-12-24	रु. 10,000	26-11-2024,10. प्रातः 00 बजे से सायं 5.30 बजे तक	10-12-2024, 2:00 अपराह्न से 3:00 अपराह्न	ज्ञात नहीं

*18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।

(1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है।
(2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।
(3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा।
(4.) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में अधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 वेबसाइट - www.Bankeauctions.com पर है। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, आपको रवि कुमार के साथ टोल फ्री: 1800 120 8800 पर समन्वय करना होगा। ई-मेल:auction@pnbhousing.com, पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।

स्थान:- भिवाड़ी दिनांक:- 09.11.2024 एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नीदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा–सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व कार्यालय दुकान नं. 1 वार्ड नं. 1, इण्डियन मेडिकल हॉल के पास, हमीन्दपुर रोड़, बहरोड़, जिला–अलवर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णत: व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक–युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई–मेल–yuvrajsinghh@gmail.com